तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भीयाराम बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर – 03 / 2019

11.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 7.9.2008 ईन्तकाल संख्या 146 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की पैतृक आवंटित भूमि चक 7 डीएलडी के मु.नं. 187 / 10,187 / 11,187 / 12 की कुल 30.12 बीघा भूमि दिनांक 29.11.1980 आवंटनशुदा है खातेदारी सनद 30 बीघा की जारी कर दी गई सिर्फ 0.12 बीघा रकबा कम की सहवन से जारी की गई हैं। मु.नं. 187 / 12 किला नम्बर 1ता4, 9ता12, 20 तादादी 9.0 बीघा मे से किला नम्बर 20 की 0.12 बीघा की सनद दिनांक 21.08.1998 से छूट गया हैं। वह भूलवंश नामान्तरकरण संख्या 146 के तस्दीक करते समय अपीलान्ट का रकबा बिना आवंटन के आवंटन मानकर आवंटन का लोप रिकार्ड में अन्य के पहले से शरह किला नम्बर 1 की बजाय 7 के अंकन दृष्टि दोष से किया गया हैं। हस्ब आदेश दिनांक 12.2.2008 को 25 बीघा खारिज किया जा चुका है तथा नामान्तरकरण की पालना की जा चुकी है अब वह हितबद्ध व पीडित नहीं रही है रकबा राज हो चुका हैं। अपीलान्ट रकबा खारिज नहीं किया गया हैं। नामान्तरकरण के जरिये अंकन रिकार्ड व तथ्य की भारी भूल हैं।

अतः नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 07.09.2008 चक 7 डीएलडी के मु.नं. 187 / 12 के किला नम्बर 20 की तादादी 1.0 बीघा की हद तक खारिज है अतः इन्तकाल संख्या 146 दिनांक 07.09.2008 आदेश खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम से किला नम्बर 20 की 0.12 बीघा के अंकन के आदेश फरमाए जावे।

अपीलान्ट को प्रथम बार जमाबन्दी पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 19.2.2019 को प्राप्त करने पर हुई अतः जानकारी की दिनांक से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है मियाद प्रार्थनापत्र मयशपथ पत्र संलग्न अपील प्रस्तुत की हैं।

अपील दायर रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट स्टेट को नोटिस जारी किया गया।

सर्व प्रथम धारा 5 मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गई। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस है कि चक 7 डीएलडी के मु.नं. 187 / 12 सहित 30.12 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की जिसकी खातेदारी सनद जारी करते समय 30 बीघा की जारी की गई सहवन से मु.नं. 187 / 12 के किला नम्बर 20 की 12 बिस्वा भूमि छूट गई। जिसका अंकन नामान्तरकरण संख 146 तस्दीक करते समय अपीलान्ट भूमि में किसी आदेश से खारिज नहीं होते हुए भी विवादास्पद ईन्तकाल के जरिये अंकन कर दिया गया है जिसे अपीलान्ट की आवंटित भूमि की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे।

राजपैरोकार की बहस है कि अपीलान्ट ने पक्षकारों का संयोजन नहीं किया हैं। विवादास्पद ईन्तकाल संख्या 146 दिनांक 7.9.2008 के जरिये बिरमादेवी पत्नी नानूराम के नामान्तकरण में मु.नं. 187 / 12 के किला नम्बर 20 की 1 बीघा बदस्तुर रखी गई हैं। अतः अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट बिरमा को पक्षकार नहीं बनाया गया है स्टेट को रेस्पोडेन्ट बनाया गया है प्रकरण में सही पक्षकार का संयोजन नहीं किया गया है बिना पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये वांछित अनुतोष नहीं दिया जा सकता हैं। अपीलान्ट ने अपने साक्ष्य में चक 7 डीएलडी के मु.नं. 187 / 10, 187 / 11, 187 / 12 की 30.12 बीघा आवंटन का हवाला दिया है जबकि आवंटन व खातेदारी सम्बन्धी कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किये है जिससे यह माना आए की अपीलान्ट को हस्तगत भूमि आवंटित थी अथवा नहीं। अतः प्रस्तुत अपील पक्षकार के संयोजन व तथ्य परक साबित नहीं हाने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2022.06.20 1
Reason: SelfAtte